National Council for promotion of Urdu

7493. SHRI MOHAMMED AFZAL alias MEEM AFZAL: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the National Council for Promotion of Urdu has actually started functioning; and

(b) what measures have been taken to make the Council functional and effective?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDCUATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KM. SELJA): (a) The General Body of the National Council for Promotion of Urdu Language and its Executive Board were constituted by the Govt, on 4th Oct., 1994 and 1st December, 1994 respectively. Both the Council and the Executive Board have started functioning.

(b) To make the Council functional and effective, a separate budget head has been provided in 1995-96 for Plan expenditure of the National Council for Promotion of Urdu Language. Further, the Council has decided to accept the existing employees of the Bureau for Promotion of Urdu provisionally on foreign service deputation.

The Council has also decided to constitute a Personnel Committee for personnel management, a Committee for Rules and Regulations for framing the rules and bye-laws for the conduct of the affairs of the Council, a Programming Committee and a Coordination Committee for overall coordination, etc.

Medium of Instruction in Open Schools

7494. SHRI MOHAMMED AFZAL alias MEEM AFZAL: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what is the medium of instruction in the Open School;

(b) whether there is any provision to make use of regional languages as medium of instruction in different reg ions; and

(c) whether Govemment have planned to make Urdu as one of the medium of instructions, if not, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KM. SELJA): (a) to (c) As per information received from the National Open School (NOS), the medium of instruction in respect of various courses offered by it ts Hindi, English and Bengali. NOS has initiated action for development of curriculum as well as rendering of course material into serveral regional languages including Urdu.

Appointment of Vice-Chancellor of Banaras Hindu University

7495. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the term of office of Vice-Chancellor of Banaras Hindu University has expired and he has attained the age of super annuation;

(b) if so, what are the reasons that he is still working there; and

(c) what are the reasons for delay in the appointment of a new Vice Chancellor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KM. SELJA): (a) and (b) Under the Act and the Statute of Banaras Hindu University, the Vice-Chancellor of the University holds office for a term of three years or till attaining the age of 65 years whichever is earlier. A retiring Vice-Chancellor may, however, continue in office till his successor is appointed and enters upon his Office. Accordingly, the present Vice-Chancellor

who attained the age of 65 years on 3-3-199S, has been requested to continue in office til his successor takes over.

(c) The process for appointment of Vice-Chancellor is at an advanced stage.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण

7496. **श्री अजीत जोगी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् में भर्ती और प्रोन्नतियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण से संबंधित मानदंडों के कथित उल्लंघन के सिलसिले में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् में भर्ती और प्रोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग में उपमंत्री (कु० शैलजा): (क) और (ख) दिनांक 28.6.94 के इंडियन एक्सप्रेस (दिल्ली संस्करण) में प्रकाशित एक समाचार में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् में भर्ती तथा प्रोन्नति में आरक्षण के मानदण्डों के कथित उल्लंघन के कुछ मामले बतलाए गए हैं।

(ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने आरोपों की सावधानीपूर्वक जांच की तथा इस बात से सन्तुष्ट थी कि आरक्षण के मानदण्डों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जा रहा है। सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के विनियमनों में इस अपेक्षा को सम्मिलित करके राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा इनका अनुपालन करना अनिवार्य कर दिया है। निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के अनुमोदन से इस प्रकार के आरोपों की जांच करने तथा सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् में उप सचिव के स्तर के एक अधिकारी की अध्यक्षता में, जो एक सम्पर्क अधिकारी के रूप में कार्य करता है, एक अनुसूचित जाति/जनजाति सैल का गठन बहुत पहले ही किया गया है।

गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम

7497. **श्री अजीत जोगी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वाले और काम्कामजी बच्चों को मूल प्राथमिक शिक्षा दिलाने के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम पुनः तैयार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो बालिका शिक्षा के विशेष संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1995-96 के दौरान केन्द्रीय सहायता में बढ़ोतरी की गई है;

(घ) यदि हां, तो गत वर्ष की तुलना में राज्य-वार राशि में किस सीमा तक वृद्धि की गई है;

(ङ) क्या विद्यार्थियों को गैर-औपचारिक शिक्षा प्रणाली से औपचारिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत लाने के लिए प्रवेश की सुविधा प्रदान करने हेतु कोई प्रावधान किया जा रहा है;

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(छ) उक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कितने स्वैच्छिक संगठन मदद कर रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग में उपमंत्री (कु० शैलजा): (क) अभी हाल ही में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की आठवीं योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन हेतु संशोधित तथा पुनः व्यवस्थित किया गया है।

(ख) संशोधित अनौपचारिक शिक्षा योजना में बालिकाओं की शिक्षा तथा बालिका अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की प्रतिशतता 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने पर विशेष बल दिया गया है। राज्यों/स्वैच्छिक एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले लागत मानकों में वृद्धि कर दी गई है।

(ग) और (घ) वर्ष 1994-95 के 131.27 करोड़ रु० की तुलना में 1995-96 में बजट प्रावधान 158.50 करोड़ रु० है। राज्यों को प्रदत्त निधियां प्राप्त प्रस्तावों पर आधारित हैं।